

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>26/2/19</p>	<p>वकील प्रार्थी उपरो।  वकील प्रार्थी द्वारा सर्व ता० पेशी  दिनांक 14-8-2018 को अप्रार्थी सं० ① महेशसिंह  रोड के विरुद्ध विलिफ विद्रोह का प्रार्थना पत्र पेश  किया था तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं० 2 उमोद सिंह  के एक तक धारा 89 L.R Act की कार्यवाही चालू  रखने का निवेदन किया गया था तथा नए रकम नं०  21/2 रकम 24 बीघा 12 बिस्वा पर कार्यवाही जारी  रखने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थी द्वारा  अप्रार्थी सं० 2 की दृष्टी रूमी को डम कर लिए  जाने से प्रार्थी अब अप्रार्थी सं० ① के एवं ②  दोनों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं  एवं प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस प्रकार को  विद्रोह करीबतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।  वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना  पत्र दि० 14-8-18 एवं 26/2/2019 स्वीकार किए  जाकर प्रकरण जरिए विद्रोह खारिज किया  जाता है।  पजावली शुणा फैसल की जाकर  इस न्यायालय से नखर से कम है।</p>	

जिला कलेक्टर  
पाली (राज.)